(उपखण्ड अधिकारी)
रामगढ़

15/3/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हा० वकील कुलिन्दा की रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रतिवादी सं० 2-3 की मृत्यु 35 से 40 वर्ष पूर्व मृत्यु होना बताया गया है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दु सं० 3 में अंकित किया गया कि फैसला तथा मुखासमझौता दिनांक 20/1/2021 को हुए हैं। जबकि प्रतिवादी सं० 2-3 की मृत्यु काफी समय पूर्व होना वकील कुलिन्दा की रिपोर्ट से जाहिर हुआ है। इस परिस्थिति में विरुद्ध वाद का संचालन नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद मृतक के विरुद्ध वाद लाने से अर्थहीन किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित किया जाता है। पत्रावली की जाकर वाद आवश्यक कार्यवाही इन्द्राज की जाकर वाद अभिलेखागार में रखा जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
रामगढ़

Scanned by CamScanner